प्रेस विज्ञप्ति

23.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसआईएल), मेसर्स प्रसाद एंड कंपनी (प्रोजेक्ट वर्क्स) प्राइवेट लिमिटेड (पीएसपीडब्ल्यूपीएल), समूह की कंपनियों और उनके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 22.07.2025 को हैदराबाद में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा मेसर्स एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और पीसी अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत ऋण राशि के गबन और डायवर्जन, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन की हानि के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

मेसर्स एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज़ लिमिटेड को उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मेसर्स एसआईएल और मेसर्स पीएसपीडब्ल्यूपीएल के संघ को दिए गए रियायती अनुबंध के निष्पादन के उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया था। मेसर्स एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज़ लिमिटेड को पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व में 14 बैंकों के एक संघ द्वारा 1700 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था। मेसर्स एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज़ लिमिटेड ने इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) के ठेके मेसर्स एसआईएल और उसकी समूह संस्थाओं को दिए, जिन्होंने आगे अन्य संस्थाओं को काम का सब-कॉनट्रैक्ट दिया।

ईडी की जाँच से पता चला कि परियोजना का एक हिस्सा समूह संस्थाओं जैसे एसईडब्ल्यू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स लिमिटेड (एसटीएनएल) को उप-अनुबंधित किया गया था, जिसने बदले में मेसर्स पीएसपीडब्ल्यूपीएल सहित अन्य पक्षों को कम मूल्यों पर उप-अनुबंधित किया, जिन्होंने बदले में उसी को कम दरों पर उप-अनुबंधित किया। समूह संस्थाओं को कम दरों पर इस उप-अनुबंध गतिविधि के परिणामस्वरूप, मेसर्स एसआईएल और उसकी समूह संस्थाओं ने ऋण निधियों को डायवर्ट और गबन कर लिया। इसके अलावा, ऋण की शर्तों के अनुसार, प्रमोटरों को अपना योगदान लाना आवश्यक था। हालांकि, जाँच से पता चला कि ऋण निधियों का एक हिस्सा मेसर्स पीएसपीडब्ल्यूपीएल (एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज लिमिटेड में 30% हिस्सेदारी धारक) को डायवर्ट किया गया था, जिसने बदले में प्रमोटर के योगदान के रूप में ऋण निधि को शामिल किया। परियोजना के लिए बैंकों द्वारा मेसर्स एसईडब्ल्यू एलएसवाई हाईवेज लिमिटेड को कुल 603.68 करोड़ रुपये वितरित किए गए। हालाँकि, परियोजना पूरी नहीं हुई और सावधि ऋण एनपीए हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों पर 621.78 करोड़ रुपये बकाया हो गए।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, धन के संदिग्ध हेरफेर के साक्ष्य वाले वित्तीय दस्तावेज और प्रमोटरों तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 120 करोड़ रुपये है। तलाशी अभियान के दौरान मेसर्स एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मेसर्स एसटीएनएल के साथ-साथ उनके निदेशकों और परिवार के सदस्यों से संबंधित 33 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

आगे की जांच जारी है।